कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

वन विद्यालय शिवपुरी प्रांगण, छत्री रोड़, शिवपुरी (म.प्र.)
दूरभाष : 07492–223392, ई–मेल : ccf.svp@mp.gov.in

शिवपुरी, दिनांक : 20/9/19

क्रमांक/डी.एम./2019/ 3708

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू-प्रबंध)
सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0।

विषय :- **अशोकनगर जिले में वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भूमिगत ओएफसी लाईन बिछाने हेतु Proposal No. FP/MP/Other/ 36830/2018 ईसागढ़-कदवाया रूट तक निर्माण हेतु 0.038 हेक्टेयर वन भूमि के संबंध में।**

संदर्भ :- वनमंडलाधिकारी, अशोकनगर का पत्र क्रमांक/डी.एम./2019/2795 दिनांक 3-9-2019

---00---

उपरोक्त विषय में वनमंडलाधिकारी, अशोकनगर के संदर्भित पत्र द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत (बीएसएनएल) निर्धारित प्रारूप पर प्रस्ताव इस कार्यालय में सहमति हेतु प्रेषित किया है। उक्त प्रस्ताव में मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5-11/2006/10-3 दिनांक 31 मई 2014 के बिन्दु क्रमांक-4 के अनुसार प्रकरण 1 है0 से कम होने के फलस्वरूप प्राप्त भूमि व्यपवर्तन की अनुमति जारी की जानी है, जिसमें शासन नियमों का पालन करने की शर्त पर R.O.W. के अंतर्गत सहमति निम्न शर्तो के अधीन दी जाती है:-

1- भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा अर्थात प्रकरण संरक्षित वन का होने से वन भूमि संरक्षित वन ही रहेगी।
2- उपयोगकर्ता अभिकरण व्यपवर्तित भूमि तथा उसके चारों ओर के क्षेत्र में जीव-जन्तु व वनस्पति को होने वाले नुकसान के लिये जिम्मेदार रहेगा तथा उनको संरक्षित सभी आवश्यक उपाय भी करेगा।
3- यह वन भूमि प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य उपयोग में नहीं ली जा सकेगी। भूमि के प्रयोजन में बगैर केन्द्र शासन की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा।
4- वनों के संरक्षण, अनुरक्षक तथा संवर्धन के हेत में राज्य शासन, वन विभाग अथावा भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम क्षेत्रीय) भोपाल द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की गई अन्य शर्तो का पालन उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।
5- वनक्षेत्र में श्रमिक कैम्प नहीं लगाये जायेगे।
6- उपयोकर्ता अभिकरण से यह वचन पत्र लिया जावे कि वनसंरक्षण की दृष्टि से राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा भविष्य में कोई शर्त लगाई जाती है तो वह मान्य होगी।
7- Cable Line मुख्य मार्ग के किनारे एवं समानांतर में ही डाला जायेगा। Cable की दूरी छोटा करने हेतु मुख्य मार्ग के किनारे को छोड़कर अन्य वन भूमि का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रकरण में शासन द्वारा दिये गये शर्तो एवं निर्देशों का भली-भॉति परीक्षण कर ही स्वीकृति जारी की जावे। प्रस्ताव के संलग्न वनसंरक्षक द्वारा भाग-।।। आवश्यक कार्यवाही हेतु सहमति सहित प्रेषित है।

संलग्न-प्रपत्र-3

(वाय.पी. सिंह) [signature] 20/9/19
मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 20-9-2019

पृष्ठांकन क्रमांक/डी.एम./2019/ 3709

प्रतिलिपिः- वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल अशोकनगर की ओर शासन नियमों का पालन करने की शर्त पर R.O.W. के अंतर्गत सहमति उपरोक्त शर्तो के अधीन दी जाती है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार प्रस्ताव।

[signature] 20/9/19
मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

\\Ibm\d\01-08-2019\DM\Ltr BPL.doc

भाग– III

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है तथा वनमंडलाधिकारी, अशोकनगर के द्वारा दिनांक 25–6–2019 से किये गये स्थल निरीक्षण से सहमत हूँ।
2	क्या संबंधित वनसंरक्षक उप वनसंरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत हैं।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	प्रस्ताव में आवेदित क्षेत्र न्यूनतम होने से तथा अन्य कोई विकल्प न होने के कारण वनमंडलाधिकारी, अशोकनगर द्वारा स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा अनुसार सहमति प्रदान की जाती है।

(वाय.पी. सिंह)
मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी